-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित
करते बहस [illegible] उभयपक्ष [illegible]
वास्ते बहस पत्रावली दिनांक [illegible] को
पेश हो।

-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप.
बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई
वास्ते आदेश प्रा० पत्र पत्रावली 22-11-19
को पेश हो।

-11-19 पत्रावली पेश हुई वक्तकार उपस्थित
वास्ते आदेश पत्रावली 28-11-19 को
पेश हो।

8-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित
आदेश सुनाया विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया
गया पत्रावली फैसल शुमार होकर
सलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 85/2015 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 07.08.2015 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. श्यामकुमार पुत्र रमेशचन्द जाति पंजाबी ब्राहम्ण निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. मनमोहन पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी रेल्वे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय — दिनांक :– 28.11.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 ग्राम लाखेरी की खतौनी संख्या 25 में खसरा संख्या 3688 रकबा 0.46 हैक्टर जिसके 2/3 हिस्से का खातेदार प्रार्थी है। शेष 1/3 हिस्से का अप्रार्थीगण मनमोहन है। प्रार्थी ने उक्त भूमि खरीदकर खातेदारान से कब्जा प्राप्त किया था। अप्रार्थी ने भी 1/3 हिस्सा खातेदार से कय किया था। प्रार्थी व अप्रार्थी अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि मेगा हाईवे के समीप होने से कीमते बढ़ गई है। अप्रार्थी मनमोहन ताकतवर, लडाकू पृवति का व्यक्ति है जो आये दिन गरीबो की भूमि पर कब्जा कर अशांति फैलाते है। अप्रार्थी प्रार्थी का हिस्सा 2/3 पर से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी दिनांक 22.07.2015 को मौके पर आया प्रार्थी को धमकी दी कि सम्पूर्ण खेत पर मैं जबरन कब्जा काश्त करूगां। यदि अप्रार्थी द्वारा जबरन ताकत के बल पर भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही है। और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। ताकि प्रार्थी शांतिपूर्वक अपने 2/3 हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

हमारे द्वारा उभ्य पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. पर सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजी में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा निहित है। और प्रार्थी की हैसियत खातेदार कृषक ही है। अप्रार्थी जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को उसके हिस्से की कृषि भूमि बेदखल करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये तर्क दिया कि प्रार्थी का केस पृथम दृष्टया प्रमाणित नही है। और न ही प्रार्थी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। बल्कि सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2068 सें 2071 के अनुसार प्रार्थी का हिस्सा विवादित आराजी में जर्ये नामान्तकरण संख्या 916 से बतौर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। अतः प्रार्थी मनमोहन हिस्सा 1/3 का सहखातेदार कृषक दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 वाद विषयक आराजी के सहखातेदार दर्ज होना पाया जाता है। भविष्य में पक्षकारान के मध्य वाद विषयक आराजी बाबत वाद बाहूलता को रोकने के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को खाता संख्या 125 खसरा नं0 3688 रकबा 0.46 हैक्टर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ के सम्बन्ध में मूल वाद के निर्णय होने तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)